

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

— कार्यालय आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	विषय	कहाँ से (राजमावि)	कहाँ को (राजमावि)
1.	सुनीता नायर	गणित	कूपड़ा (बांसवाड़ा)	चन्द्रपोल गेट, बांसवाड़ा
2.	हेमलता	गणित	कोटखावदा (जयपुर)	ब्रह्मपुरी, जयपुर
3.	शशि नैण	गणित	दांतीवाड़ा (जोधपुर)	महात्मा गांधी, जोधपुर
4.	वीरा अरोड़ा	गणित	महामन्दिर, जोधपुर	नवीन, जोधपुर
5.	अजीतसिंह भाटी	गणित	नवीन, जोधपुर	दांतीवाड़ा (जोधपुर)
6.	विनोद कुमार शर्मा	गणित	पालड़ा (टोंक)	निवाई (टोंक)
7.	राधेश्याम शर्मा	गणित	निवाई (टोंक)	पालड़ा (टोंक)
8.	राजेन्द्र सिंह	भौतिक	टाडगढ़ (अजमेर)	दुर्गावास (अजमेर)
9.	महेन्द्र भट्ट	भौतिक	दुर्गावास (अजमेर)	टाडगढ़ (अजमेर)
10.	रघुनन्दन शर्मा	भौतिक	बीबीरानी (अलवर)	हल्दीना (उमरैण) अलवर
11.	प्रतिभा पोसवाल	भौतिक	बा. माण्डण (अलवर)	अजबपुरा (थानागाजी) अलवर
12.	उमंग जैन	भौतिक	बा. सांगानेर, जयपुर से बा. लाखेर (आमेर) जयपुर के आदेश पर	बा. नाहरी का नाका, जयपुर
13.	भैंवर सिंह सैनी	भौतिक	खेतडीनगर (झुन्झुनू)	उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)
14.	तरुणा महावर	भौतिक	बा. आदर्श नगर, अजमेर	बा. नयापुरा बाग, कोटा
15.	मोना शर्मा	भौतिक	बा. नयापुरा बाग, कोटा	बा. सुकेत (कोटा)
16.	हुकमचन्द्र प्रजापति	भौतिक	टोड़ा (सीकर)	रामसिंहपुरा (लक्ष्मणगढ़) सीकर
17.	राजेश बाबू महावर	भौतिक	लाम्बा (टोंक)	अलीगढ़ (उनियारा) टोंक
18.	विनोद धाकड़	भौतिक	जटवाड़ा (जयपुर)	गैटोर, जयपुर
19.	ब्रजेश कुमार	भौतिक	गैटोर, जयपुर	जटवाड़ा (जयपुर)
20.	दिनेश चन्द्र जांगिड़	भौतिक	नूरपुर (अलवर)	ततारपुर (अलवर)

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक ३१/०७/१४ तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या ०५, ०७, ०९, १५ एवं १९ पर अंकित कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देया होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES के कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थान पर स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें अन्यथा संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक के कार्यरत होने की रिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।


(नित्यमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक २५/०७/१४

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-३/भौगकृ/स्थानान्तरण/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-२) विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
10. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

